न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/136

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलान्ट

बनाम

किशनचन्द आत्मज लटूर, जाति धाकड़, निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः–

1. श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार लाडपुरा अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 15.01.2026**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादी की माता श्रीमती दाखां बाई को उनके पिता से खसरा नम्बर 122 की 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 128/2 की 2 बीघा, खसरा नम्बर 312 की 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 416 की 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 की 10 बीघा 16 बिस्वा प्राप्त हुई थी। श्रीमती दाखां बाई की दिनांक 10 अक्टूबर 2012 को मृत्यु हो चुकी है और वादी ही उनका एकमात्र वारिस है अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादी की माता के उपरोक्त खसरा नम्बरान में से गत खसरा नम्बर 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का सेटलमेन्ट उपरान्त रकबा 0.42 हेक्टर बनता है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 312 के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 0.09 हेक्टर कायम कर गत रकबा के मुकाबले लगभग 0.13 हेक्टर कम दर्ज किये गये है, जो त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त आराजीयात में भी गत खसरा नम्बर 312 का जो खसरा नम्बर 293 कायम किया गया, उसका 0.19 हैक्टर रकबा भी गलत रूप से पहाडी तथा पर्वत गैरमुमकिन नाला दर्ज कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है. जबकि उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज की जानी ग्राहिये थी। वादी ने इसके लिये दिनांक 12.02.2013 को प्रशासन गांवों की ओर शिविर में आवेदन दिया लेकिन आज तक भी रकबा दुरुस्त नहीं किया गया जबकि वादी आज भी सम्पूर्ण 2 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.42 हेक्टर पर ही काबिज है तथा उसे अनुचित रूप से धारा 91 रेवेन्यू एक्ट

के तहत नोटिस दिये जा रहे है जो त्रुटिपूर्ण है। वाद कारण, वादी की माँ दाखां बाई की आराजी खसरा नम्बर 312 की 2 बीघा 12 बिस्वा होने, दाखां बाई की मृत्यु दिनांक 10.10.2012 को होने, वादी उसका एकमात्र वारिस होने, राजस्व रिकार्ड की जांच करने पर उक्त आराजीयात पूर्व रकबे के अनुसार कम अंकित किये जाने तथा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी रकबा दुरूस्त नहीं किये जाने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमती दाखां बाई जिसका कि वादी पुत्र है, के खसरा नम्बर 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का जो नया खसरा नम्बर 293 व 294 बनाया गया है, उसको खसरा नम्बर 293 नाले के स्थान पर वादी का खातेदारी नाम अंकित किया जावे तथा सम्पूर्ण आराजियात का क्षेत्रफल जो 0.29 हैक्टर अंकित किया गया है, उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.42 हेक्टर अंकित किया जावे। तदनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2024 द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 में से 0.14 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 293 रकबा 0.19 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया। वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट का रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से 0.26 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 निरस्त किया जावे।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2024 एवं 18.06.2024 (संशोधित) के परीक्षण एवं विश्लेषण में राजकार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण समय लगा तत्पश्चात् अपील की स्वीकृति दिनांक 18.03.2025 को जारी हुई इस कारण अपील नही कर पाए

जो काबिल माफी है। अपील पेश करने में देरी जानबूझकर नही बल्कि उपरोक्त कारणों से हुई जो काबिले माफी है। अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर सुनवाई के आदेश फरमाया जाना, न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ कि अपील पेश करने में हुई डिले कन्डोन फरमाई जाकर सुनवाई के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने एवं अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सरकारी दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेजों पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत प्रकरण से सुसंगत नहीं है और ना ही अपील के निस्तारण में सहायक है। उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तोवजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया गया था। उक्त वाद

में यह सहायता चाही गई थी कि गत खसरा नं0 312 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा का सेटलमेन्ट उपरान्त नया खसरा नं0 293 रकबा 0.19 है० व 294 रकबा 0.09 है० कायम किए गए जो गत रकबा के मुकाबले 0.13 है० कम किया गया। गत खसरा नं0 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से बने नये खसरा नं0 293 रकबा 0.19 है., व 294 रकबा 0.09 है० बने है। रेस्पोडेन्ट को खसरा नं0 295 रकबा 0.38 है० किस्म सिवायचक में से रकबा 0.26 है० वादी रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया है जो सर्वथा नियम विपरीत है क्योंकि निर्णय दिंनाक 27.05.2024 व संशोधित निर्णय दिनांक 18.06.2024 में सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व नक्शे, व वर्तमान राजस्व नक्शे का मिलान नहीं किया गया, जबकि दोनो के मिलान से एक समान नक्शा खसरा नं. 311 व 312 का साबित है। सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं0 311 रकबा 15 बिस्वा गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज रहा। जिसे सेटलमेन्ट द्वारा सिवायचक दर्ज किया है जबकि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार के अधिकार नही थे, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक खसरा नं0 311, हाल खसरा नं0 295 को किस्म सिवायचक से वापस गै.मु. रास्ता दर्ज ना करने की भारी भूल की है।वादी रेस्पोडेन्ट का आराजी खसरा नं0 312 सेटलमेन्ट पूर्व रहा, बाद सेटलमेन्ट खसरा नं0 293 व 294 रकबा क्रमशः 0.19 है० व 0.09 है० दर्ज है जिनकी सेटलमेन्ट पूर्व के राजस्व नक्शे व वर्तमानं नक्शे में कोई अन्तर नही है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दोनो नक्शो के तुलनात्मक विश्लेषण ही निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। खसरा नं0 312 से नये खसरा नं0 293 व 294 बने है, जो रिकॉर्ड एवं मिलान क्षेत्रफल से साबित है परन्तु माननीय न्यायालय ने खसरा नं0 293 व 294 वादी खातेदार को ना दिया जाकर खसरा नं. 295 वादी को खातेदार घोषित किया है जो सर्वथा नियम विपरीत है और काबिल निरस्त है। खसरा नं0 293 रकबा 0.09 है० वर्तमान में गै.मु. नाला दर्ज है तथा खसरा नं० 294 रकचा 0.09 है० वादी रेस्पाडेन्ट की खातेदारी में दर्ज हैं जबकि मौके पर वर्तमान में भी दोनो खसरो का स्वरूप गै.मु नाले के रूप में है, साथ ही खसरा नं० 293 से लगवा खसरे 268 व 275 साबिक नं0 317 व 342 की किस्म मै०मु० नाला के रूप में दर्ज चली आ रही है। जो खसरा नं0 293 को सही दर्ज किये जाने को साबित करता है अर्थात् प्रकरण डी. बी. सिविल जनहित याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में राज, उच्च न्यायालय से प्रभावित है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। खसरा नं. 295 साबिक नं0 311 में से 0.26 है० रकबा रेस्पोडेन्ट को दिये जाने की भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है, जबकि साबिक खसरा नं० प्रतिबन्धित किस्म है तथा वादी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं रही, जो राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे से साबित होती है। खसरा नं0 295 को सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2024 में ग्राम दीपपुरा की आराजी खसरा नं0 293 रकबा 0.19 है० खसरा नं0 295 रकबा 0.38 है० में से 0.14 है0० का रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की त्रुटि की है जो कि निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी संशोधित डिक्री दिनांक 18.06.2024 से ग्राम दीपपुरा की आराजी खसरा नं0 295 रकबा 0.38 है० गत रकबा 0.15 बिस्वा बराबर 0.12 है० को छोड़ते हुए शेष 0.26 है० रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की त्रुटि की है। खसरा नं0 293 रकबा 0.19 है० किस्म गै.मु. नाला सिवायचक दर्ज है एवं मौके पर गै. नाला है। उक्त निर्णय में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर०टी० एक्ट 1955 धारा 16 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जिसमें यह उल्लेखित है कि गै.मुः भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोभूत नही होते है, राज्यहित प्रभावित होता है। अपीलांट द्वारा निर्णय एवं डिक्री के संबंध में पूर्व में कोई

अपील पेश नहीं की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर डिक्री जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2024 एवं 18.06.2024 (संशोधित डिक्री) से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा वर्णित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी के रूप में पक्षकार रहा है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट की माता दाखां बाई को उनके पिता से प्राप्त हुई है। वादी रेस्पोडेन्ट उसकी माता का एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत रकबे की तुलना में वर्तमान रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से कम दर्ज कर दिया गया है। गत खसरा संख्या 312 जो खसरा संख्या 293 कायम किया गया, उसका 0.19 हैक्टेयर रकबा भी गलत रूप से पहाड़ी तथा पर्वत गैर मुमकिन दर्ज कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज की जानी चाहिए थी। वादी रेस्पोडेन्ट ने वादपत्र में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 293 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से .14 हैक्टेयर का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि गत खसरा संख्या 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वादी रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 294 रकबा 0.08 हैक्टेयर कायम किया गया है जो गत रकबे 0.42 हैक्टेयर की तुलना में 0.13 हैक्टेयर रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से कम दर्ज किया गया है। वादी रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके खाते की भूमि खसरा संख्या 293 को गैर मुमकिन नाले के रूप में दर्ज कर दिया गया है अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 293 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाले की भूमि को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वंय के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 में खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से रकबा 0.26 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किए जाने का आदेश अंकित किया है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 295 की भूमि के सम्बंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रश्नगत खसरा संख्या 295 की भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार हाल खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 311 से बना है। अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 295 की भूमि वादी रेस्पोडेन्ट के खाते की गत खसरा संख्या 312 की भूमि नहीं होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तोवजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 पारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 में प्रश्नगत खसरा संख्या 295 रकबा 0.38 हैक्टेयर सिवायचक भूमि में से 0.26 हैक्टेयर भूमि को वादी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में वादी रेस्पोडेन्ट के खाते की गत खसरा संख्या 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा(0.42 हैक्टेयर) का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तथाकथित रूप से कम किए जाने के तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाए बिना वादी रेस्पोडेन्ट अपने तथाकथित कमी रकबे की पूर्ति करवाने का अधिकारी नहीं है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तथाकथित रूप से रकबा कम किए जाने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना संभव है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 133/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी सरकार से वादी रेस्पोडेन्ट के तथाकथित कमी रकबे के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करें। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में हक

अधिकारों को लेकर उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम करें। उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.02.2026 को परीक्षण न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा